राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	918/2024 नन्दाराम बनाम बोदूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/09/25	पत्रावली प्रस्तुत हुई । अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित । अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 1 लगा. 9 ने अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया । अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी । संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का इस आशय का पेश किया कि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगायत 10 की संयुक्त क़ब्जे व खातेदारी की आराजी खसरा नंबर 31 रकबा 0.1770 हेक्टेयर, खसरा नंबर 32 रकबा 0.1265 हेक्टेयर, खसरा नंबर 33 रकबा 0.1391 हेक्टेयर, खसरा नंबर 34 रकबा 0.1897 हेक्टेयर, खसरा नंबर 35 रकबा 0.0379 हेक्टेयर, खसरा नंबर 396/25 रकबा 0.0126 हेक्टेयर, खसरा नंबर 397/27 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नंबर 398/28 रकबा 0.0126 हेक्टेयर, खसरा नंबर 399/39 रकबा 0.0506 हेक्टेयर, खसरा नंबर 407/55 रकबा 0.0506 हेक्टेयर, खसरा नंबर 408/56 रकबा 0.0253 हेक्टेयर, खसरा नंबर 52 रकबा 0.0506 हेक्टेयर किता 12 कुल रकबा 0.8978 हेक्टेयर वाकै ग्राम मुण्डोती पटवार हल्का मुण्डोती भू.अभि.नि. क्षेत्र पचकोडिया तहसील कि. रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है । जिसमें वादीगण सं. 1 ल 3 प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकोर्ड में अंकित है तथा शेष खातेदारी प्रतिवादी सं 01 ल 10 की खातेदारी में हिस्से अनुसार दर्ज किया हुआ है । वाद पत्र के मद नंबर 1 में वर्णित उक्त आराजीयात का वादीगण व प्रतिवादी सं 01 ल. 10 के मध्य आपसी सहमति से मौखिक रूप से विभाजन वर्षों पूर्व से किया हुआ है तथा वादग्रस्त भूमि का विभाजन करके वादीगण व प्रतिवादी सं 01 ल. 10 अपने-अपने हिस्से पर काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग करते आ रहे है तथा वादीगण व प्रतिवादीगण ने अपने हिस्से में आयी भूमि में अपने निवास हेतु पुख्ता मकानात व पशुओं के लिए मकानात व बाडे बना रखे है तथा अपने-अपने हिस्से में आयी आराजीयात में आने-जाने के लिए मौके पर रास्ते भी वादीगण व प्रतिवादी सं 1 लगा. 10 ने कायम कर रखे है । जिन रास्तों का उपयोग वादीगण व प्रतिवादीगण अपने हिस्से में मौके पर काबिज भूमि पर आने जाने के लिए करते आ रहे है । इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 लगा. 10 अपने-अपने हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज होकर भूमि का उपयोग-उपभोग करते आ रहे है और अपने अपने हिस्से की भूमि को उन्नत व विकसित कर रखी है । वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 लगा. 10 को कई बार वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन करवाने के लिए कहा तब प्रतिवादी सं. 1 लगा. 10 हमेशा वादीगण को आश्वासन देते रहे कि समय मिलने	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

नन्दाराम बनाम बोदूराम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर या गांव में जब कभी राजस्व केम्प लगेगा तब मौके के कब्जे व उपयोग उपभोग के अनुसार हिस्से में आयी भूमि का आने जाने का रास्ता कायम करते हुये विधिक रूप से विभाजन करवा लेगे इस प्रकार आश्वासन देते रहे है किन्तु आज तक प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से विभाजन नहीं करवाया है जिससे वादीगण को अपने हक व हिस्से की भूमि को उन्नत व विकसित करने एवं अलग से पहचान व सीमा कायम करने में परेशानियो का सामना करना पडता है तथा भविष्य में वाद विवाद होने की संभावना बनी रहती है। वादीगण ने प्रतिवादी सं. 1 लगा. 10 को दिनांक 15/2/2024 को वादग्रस्त भूमि का विधिक रूप से मौके के कब्जे एवं हिस्से अनुसार वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण आना कानी करते हुये स्पष्ट रूप से इंकार हो गये और प्रतिवादी सं. 1 लगा. 10 ने कहा कि हम चाहेगे जहां पर कब्जा करेगे। इसलिए वादीगण को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा के लिए यह वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है। वाद पत्र के अन्त में ईस्तदुआ चाही गयी कि वादीगण का वाद विरुद्ध प्रतिवादी सं. 1 लगायत 10 बाबत विभाजन आराजी डिक्री किया जाकर आराजी खसरा नंबर 31 रकबा 0.1770 हेक्टेयर, खसरा नंबर 32 रकबा 0.1265 हेक्टेयर, खसरा नंबर 33 रकबा 0.1391 हेक्टेयर, खसरा नंबर 34 रकबा 0.1897 हेक्टेयर, खसरा नंबर 35 रकबा 0.0379 हेक्टेयर, खसरा नंबर 396/25 रकबा 0.0126 हेक्टेयर, खसरा नंबर 397/27 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नंबर 398/28 रकबा 0.0126 हेक्टेयर, खसरा नंबर 399/39 रकबा 0.0506 हेक्टेयर, खसरा नंबर 407/55 रकबा 0.0506 हेक्टेयर, खसरा नंबर 408/56 रकबा 0.0253 हेक्टेयर, खसरा नंबर 52 रकबा 0.0506 हेक्टेयर किता 12 कुल रकबा 0.8978 हेक्टेयर वाकै ग्राम मुण्डोती पटवार हल्का मुण्डोती भू.अभि.नि. क्षेत्र पचकोडिया तहसील कि. रेनवाल जिला जयपुर राजस्थान में स्थित का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 10 के मध्य मौके के कब्जे के अनुसार एवं प्रत्येक खातेदार के हिस्से की भूमि पर आने-जाने का रास्ता कायम करते हुये प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर नक्शे कुर्रेजात मंगवाये ज़ाकर अंतिम निर्णय व डिक्री पारित फरमायी जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड/राजस्व नक्शे में अमल दरामद करते हुये प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 10 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात प्रतिवादी सं.1 लगा. 9 ने प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 11 व आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का पेश कर निवेदन किया कि वादीगण व	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नन्दाराम बनाम बोदूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रतिवादी संख्या 10 के पिता स्व. अरजना प्रतिवादी सं. 1 बोदूराम व प्रतिवादी सं. 2 ल. 6 व 8, 9 के पिता एंव प्रतिवादी सं. 7 के पति जीवणराम के कब्जे काश्त व सहखातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 51, 52, 53, 54, 55, 56 किता 13 कुल रकबा 82 बीघा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 25, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 50 कुल किता 10 कुल रकबा 45 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम मुण्डोती तहसील किं. रेनवाल जिला जयपुर में स्थित है। जिसमें स्व. अरजना का 1/2 हिस्सा स्व. जीवणराम का 1/4 हिस्सा व बोदूराम का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था । जिन्होंने विभाजन प्रशासन गावों के संग अभियान 2013 में दिनांक 15.04.2013 को करवा लिया था एंव आपसी सहमति से हुये विभाजन के अनुसार नामान्तकरण भी दिनांक 30.04.2013 को तस्दीक किया जाकर पृथक पृथक खातेदारी दर्ज की गई। वादीगण के द्वारा वाद के मद नम्बर 1 में वर्णित आराजी के सम्बन्ध में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया है जबकि उक्त आराजी का विभाजन पूर्व में ही आपसी सहमति अनुसार विधिक रूप से दिनांक 13.04.13 को किया जा चुका है तथा वादीगण के द्वारा जिस आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत किया गया है उक्त आराजी पूर्व में हुये विभाजन में गै.मु.रास्ता, गै. मु.आबादी व गै.मु.चाह की भूमि है । वादीगण के द्वारा जिस आराजी के संबंध में विभाजन का वाद प्रस्तुत किया है उसका विभाजन पूर्व में ही दिनांक 15.04.2013 को आपसी सहमति से विधिक रूप से किया जा चुका है तथा जिनके सम्बन्ध में पुनः वाद कानूनन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । वादीगण का वाद विधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 11 रेसज्यूडिकेटा के बाधित होने से प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज किये जाने योग्य है | वाद में वर्णित आराजी गै.मु.रास्ते, गै. मु. आबादी/बाडा व गै.मु. चाह की भूमियां है जिनका कानून विभाजन नहीं किया जा सकता है तथा आबादी भूमि के विभाजन का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त न होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है इस कारण वादीगण का वाद विरूद्ध होने व माननीय न्यायालय के सुनवायी के क्षेत्राधिकार में नहीं होने से सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत खारिज किया जावे । जिस पर वादी/अपीलार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पेश कर निवेदन किया कि खसरा नम्बर 31 रकबा 0.1770 हैक्टेयर खसरा नम्बर 32 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 33 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 34 रकबा 0.1897 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 35 रकबा 0.0379 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 396/25 रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 397/27 रकबा 0.0253 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 398/28 रकबा 0.0126 हैक्टेयर,

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नन्दाराम बनाम बोदूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खसरा नम्बर 390/39 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 407/55 रकबा 0.0506 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 408/56 रकबा 0.0253 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 52 रकबा 0.0506 हैक्टेयर किता 12 कुल रकबा 0.0897 हैक्टेयर वाके ग्राम मुण्डोती पटवार हल्का मुण्डोती में स्थित है जो आज भी 13 व्यक्तियों के नाम संयुक्त रूप से जमाबन्दी मे दर्ज है तथा उपरोक्त खसरा नम्बरांन में हर खातेदार का अलग अलग हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसमें से कुछ भूमि पर पक्षकारान् खेती भी करते है जिन्होंने अपने हिस्से में आयी भूमि पर खेती कर रहे है तथा उक्त जमीन राजस्व रिकोर्ड में आज भी कृषि भूमि के रूप में दर्ज है। वादग्रस्त भूमि जिसका वर्णन वाद के मद नम्बर 1 में किया गया है उसका तकासमा अभी नहीं हुआ है तथा उक्त भूमि में कोई भी भूमि राजस्व रिकोर्ड में गै. गु. रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है तथा उक्त भूमि में खातेदारान अभी भी खेती कर रहे है तथा खेती की भूमि में अपने हिस्से की भूमि मिलाकर खेती कर रहे है इसलिए राजस्व रिकार्ड को देखने के पश्चात भी प्रथमदृष्टया ही यह प्रतीत होता है कि वादग्रस्त भूमि का अभी तक विभाजन नहीं हो रखा है। उक्त वाद में सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 लागू नहीं होती। सीपीसी की धारा 11 उस मुकदमे पर लागू होती है जिसमें उन्ही पक्षकारों के मध्य उन्ही खसरा नम्बरान को लेकर किसी न्यायालय में तनकीयात विरचित करने के पश्चात् यदि कोई फैसला माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाता तो उस पर धारा 11 लागू होती है परन्तु उक्त प्रकरण के संबंध में पूर्व में किसी भी न्यायालय में मुकदमा नहीं चला है और ना ही मुकदमे में तनकीयात कायम की जाकर फैसला दिया गया है। इसलिए यहां पर धारा 11 के प्रावधान लागू नहीं होते है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। उक्त भूमि जिसका वर्णन वाद के मद नम्बर 1 में किया गया है इसमें खसरा नम्बर 396/25 किस्म बारानी है, खसरा नम्बर 397/27 किस्म बारानी है, खसरा नम्बर 398/28 किस्म चाही है तथा खसरा नम्बर 399/99 चाही है खसरा नम्बर 407/55 किस्म बारानी है खसरा नम्बर 408/56 किस्म बारानी है तथा खसरा नम्बर 52 किस्म बारानी है खसरा नम्बर 31 किस्म बारानी है खसरा नम्बर 32 भी गै.मु.बाडा है इस प्रकार सभी भूमिया कृषि भूमि के रूप में राज़स्व रिकार्ड में दर्ज है जिनका अभी भू.रूपान्तरण नहीं हुआ है तथा इसलिए उक्त खसरा नम्बरान की भूमि आबादी में संपरिवर्तन नहीं होने के कारण तथा कुछ भूमि में वर्तमान में भी खेती होने के कारण उक्त भूमि कृषि भूमि की श्रेणी में ही आयेगी तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 207 के अन्तर्गत उक्त भूमियों के वाद के सम्बन्ध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार माननीय राजस्व न्यायालय को ही है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नन्दाराम बनाम बोदूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

योग्य है। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व आदेश 07 नियम 11 सीपीसी पर बहस सुने जाने के पश्चात निर्णय व डिक्री दिनांक 28/08/2024 पारित करते हुये प्रतिवादी संख्या 1 लगा. 9 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुये वादीगण का वाद खसरा नम्बर 31 किस्म बारानी-1 को छोड़कर शेष अन्य खसरा नम्बरों के लिए ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई। जिसमे रेस्पो. संख्या 1 लगा. 9 ने अपनी लिखित बहस के आधार पर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया एवं अधिवक्ता अपीलार्थी की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया कि विवादग्रस्त भूमि कृषि भूमि है, जिसके विभाजन का क्षेत्राधिकार स्पष्ट रूप से राजस्व न्यायालय को ही है एवं प्रत्येक कृषक अपनी कृषि आराजी में मकान, बाड़ा आदि को निर्मित करने हेतु स्वतन्त्र रहता है एवं बाड़ा इत्यादि के साथ ही उक्त भूमि पर कृषि कार्य किया जाकर फसल उगाई जा रही है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वास्तविक तथ्यों का मनमाने रूप से विवेचन कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी होने से निरस्त किये जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे।

अधिवक्ता रेस्पो. द्वारा अपनी लिखित बहस में मुख्य रूप से यही निवेदन किया गया कि विवादग्रस्त भूमि में स्व. अरजना का 1/2 हिस्सा व स्व. जीवणराम का 1/4 हिस्सा तथा बोदूराम का 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज था, जिन्होंने प्रशासन गाँवो के संग अभियान 2013 में दिनांक 15/04/2013 को विभाजन करवा लिया एवं आपसी सहमति से हुये विभाजन के अनुसार नामान्तकरण भी दिनांक 30/04/2013 को तस्दीक किया जाकर पृथक-पृथक खातेदारी दर्ज रिकार्ड कर दी गयी एवं रेस्पो. द्वारा अपने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जाप्ता दीवानी के माध्यम से उक्त तथ्य को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साबित किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों का परिक्षण कर सही रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद जिस आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है वह पूर्व में हुए विभाजन में गै. मु. रास्ता, गै. मु. आबादी/बाडा व गै.मु. चाह किस्म की भूमि है एवं कानूनन भी पूर्व में सहमति से जिस भूमि का विभाजन हो चुका हो तो उसके सम्बन्ध में नवीन वाद पेश नही किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	नन्दाराम बनाम बोदूराम हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सभी तथ्यों का समुचित संज्ञान लेकर सही रूप से अपीलार्थी निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी नही होने से अपील अपीलार्थी ख़ारिज फरमाई जावे | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील पत्रावली का मय अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किये जाने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटी प्रतीत नही होता है | सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित संज्ञान लेकर बाद विवेचन अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये खसरा नम्बर 31 किस्म बारानी-1 को छोड़कर शेष खसरा नम्बरों के लिये वादीगण का वाद सही रूप से ख़ारिज किया जाना स्पष्ट होता है | अत: ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28/08/2024 में कोई हस्तक्षेप नही करते हुये उन्हें यथावत रखा जाकर अपील अपीलार्थीगण ख़ारिज की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 23/09/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	